वित्तीय स्वीकृति

संख्या-03 /2022/ 11 /52-2-2022-01(बजट)/2021

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2022**

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में आयोजनागत पक्ष में उ०प्र०शिया/सुन्नी वक्फ बोर्डों के अनावर्तक अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की गयी धनराशि के हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के पत्र संख्या- 317 दिनांक 28.12.2021 एवं उ0प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के पत्र संख्या-581/Lo-2021, दिनांक 28.12.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत उ०प्र० शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डों को अनावर्तक अनुदान मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू० 1,00,90,000/- (रूपये एक करोड़ नब्बे हजार मात्र) का 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में उ०प्र० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ के लिए रू0 15.135 लाख **(रूपये पन्द्रह लाख तेरह हजार पांच सौ मात्र)** तथा उ0प्र0 शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के लिए रू0 10.09 लाख **(रूपये दस लाख नौ हजार मात्र)** अर्थात कुल धनराशि रू० 25,22,500/- **(रूपये पच्चीस लाख बाईस हजार पाँच सौ मात्र)** आवंटित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)- उक्त धनराशि का हस्तानान्तरण 60 प्रतिशत उ०प्र० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड तथा 40 प्रतिशत उ०प्र० शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को कर दिया जायेगा ।

(2)- कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा ।

(3)- स्वीकृत धनराशि का केवल शासन द्वारा अनुमोदित कार्यों/प्रयोजनों के लिये ही व्यय किया जायेगा।किसी भी दशा में उक्त धनराशि पुराने दायित्वों व किसी अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी ।

(4)- धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण सहित प्रगति आख्या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(7)- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 , दिनांक 22.03.2021 में दिये गये शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-102-धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन-05-उ०प्र० शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डों को अनावर्तक अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 , दिनांक 22.03.2021 के प्रस्तर-2(6) एवं उप प्रस्तर-(ब) में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव

संख्या - 03 /2022/ 11 /52-2-2022-01(बजट)/2021, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकर, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज ।
2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ ।
3- वित्त/लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- नियोजन अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in